न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—44 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 44)

1. गोविन्द पुत्र रामनारायण
2. छोटू पुत्र रामनारायण
3. गोपी पुत्र रामनारायण

सभी जाति जाट निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 रामदयाल
2. रामलाल पुत्र स्व0 रामदयाल
3. रामदीन पुत्र स्व0 रामदयाल
4. लक्ष्मण पुत्र स्व0 रामदयाल
5. पांचू पुत्र स्व0 रामदयाल
6. छगन पुत्र स्व0 रामदयाल
7. विश्राम पुत्र स्व0 रामदयाल
8. सुवा पुत्र कामड

सभी जाति जाट, निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटगण

9. रामस्वरूप पुत्र कामड
10. लक्ष्मण पुत्र रामनारायण
11. जगदीश पुत्र रामनारायण
12. श्रीमती धारा पुत्री रामनारायण

सभी जाति जाट, निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।

13. नन्दू पुत्री रामनारायण पत्नि लालाराम जाति जाट निवासी दांतरी तहसील दूदू जिला जयपुर।
14. श्रीमती कोकल पत्नि रामनारायण जाति जाट, निवासी गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2021 राजस्व वाद संख्या 44 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 8 से 14 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—16.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 9 लगायत 14 ने एक राजस्व वाद इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 एवं राजस्थान सरकार उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अभिकथनों के आधार पर कुल 7 तनकीयात कायम करते हुए दोनों पक्षों की शहादत के बाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.1.2021 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 8 से 14 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू वादीगण/अपीलांट्स द्वारा वाद की ताईद में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं सबूतों का सही ढंग से ऐपरीसियेट नहीं कर पाये। वादीगण/अपीलांट्स का वाद रिसेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 2057 के रकबे को 0.58 हैक्टर के बजाय 0.49 हैक्टर कर देना व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 2057 के पूर्वी दिशा में रेस्पोडेन्ट्स का हाल खसरा नम्बर 2067 क्रियेट कर देने से उस त्रुटि को दुरूस्त कराने का था तथा वादीगण/अपीलांट्स ने इस बाबत् दस्तावेजी सबूतों में जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074, खतौनी बन्दोबस्त संख्या 55 सम्वत 2011 से 2029, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस दिनांक 20.1.2017 व 22.12.2016, खतौनी बन्दोबस्त संख्या 164 सम्वत 2011 से 2019 आदि प्रस्तुत की थी जिससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वादीगण/अपीलांट्स का विवादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2057 साबिक खसरा नम्बर 1666 के मुकाबले क्षेत्रफल में कम करते हुए रेस्पोडेन्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 1667 में वादीगण/अपीलांट्स की भूमि कम करते हुए पूर्वी दिशा में मिला दी गई जिसके कारण रेस्पोडेन्ट्स रिकार्ड में हुई त्रुटि का फायदा लेते हुए वादीगण/अपीलांट्स की भूमि में अतिक्रमण कर रहे है लेकिन उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय दिनांक 27.1.2021 से वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, दूदू का निर्णय दिनांक 27.1.2021 स्पष्ट एवं कारण रहित है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के कथनों का विना विश्लेषण व विवेचन किए ही उनको सही मानते हुए अपने कारण रहित निर्णय से वादीगण/अपीलांट्स का वाद खारिज कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि साबिक खसरा न0 1666 के हाल खसरा नं0 2057 रकबा 0.20 है0 2063 रकबा 0.04 है0 2065 रकबा 0.04 है0 2066 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.59 है0 अर्थात 2 बीघा 6 बिस्वा नवीन नं0 कायम किये गये है जिसके खातेदारी प्रतिवादी 8 एवं वादी सं0 1 एवं वादी सं0 2 लगायत 9 के पिता रामनारायण पुत्र वख्तावर के नाम दर्ज है जो रिकोर्ड से प्रमाणित है वादीगण ने मिथ्या गलत एवं प्रमाणित अभिकथन अकिंत कर वाद प्रस्तुत किया है एवं हाल खसरा नं0 2057 का रकबा 0.58 करवाना चाहता है एवं न्यायालय से तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है वाद खारिज किये जाने योग्य है । वादीगण ने पुराना नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 1666 के दर्ज इन्द्राज के विपरित मिथ्या अकिंत किये है चुंकि साबिक नक्शा ट्रेस में 1666 के लगवा पूर्व की और 1667 प्रतिवादीगण की भूमि दर्शायी गई है जो हाल नक्शा ट्रेस में हू–बहू खसरा नं0 2067 कायम कर साबिक नक्शा ट्रेस के अनुरूप ही दर्शायी गई है जो सही दर्ज कि गई है साबिक खसरा नं0 1635 के दक्षिणी सींव से आगे उत्तरी पूर्व कि ओर वादीगण की तरमिम नहीं कि गई है। खसरा नं0 2045, 2043, 2068 की दक्षिणी सींव तक प्रतिवादीगण हाल खसरा नं0 2067 कि तरमिम मुताबिक कब्जा काश्त एवं साबिक नक्शा ट्रेस के अनुरूप दर्ज कि गई है जो सही दर्ज की गई है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 हाल खसरा नं0 2067 साबिक खसरा नं0 1667 पर काबिज जमाना जागीर से चले आ रहे है तथा मौके पर आज भी काबिज काश्त है। वादी ने नाले बाबत कथन मिथ्या अंकित किये है वादीगण ने वाद पत्र को रंगत देने के उद्देश्य से अंकित किये हैं। वादीगण को राजस्व रिकोर्ड कि जानकारी पुर्व मे रही है दिनांक 25.04.2017 बाबत कथन मिथ्या अंकित किये है, वादी को वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है बादी ने वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। वादीगण ने पुनः उन्हीं तथ्यो को दोहराया है साबिक ख0 नं0 1667 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा के हाल ख0 नं0 2057 रकबा 0.20 है0 2063 रकबा 0.04 है0 2065 रकबा 0.04 है0 2066 रकबा 0.31 है0 कुल 0.59 अर्थात 1 एयर वादीगण के ज्यादा दर्ज हैं जबकि 0.58 है0 ही दर्ज होना चाहिए था तत्पश्चात भी वादीगण ने गलत वाद प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 3.5.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 5.9.2018 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व 9 का जवाब पेश हो चुका है जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 8 ने जवाब हेतु समय चाहा न्यायालय द्वारा पूर्व में कई बार अवसर दिए जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रतिवादी संख्या 8 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 11.9.2018 को तनकीयात कायम की गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। दिनांक 31.10.2018 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को नोट प्रेस किया गया। नोट प्रेस किए जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया। दिनांक 26.3.2019 को गवाह वादी पी0डब्ल्यू0 1 रामस्वरूप, पी0डब्ल्यू0 2 सूरज, पी0डब्ल्यू0 3 मुखराम गवाहों के पूर्व में पेश शपथ पत्रों पर बयान लिए गए। वकील वादी और शहादत पेश नहीं करना चाहते शहादत वादी बंद की गई। दिनांक 2.7.2019 को गवाह प्रतिवादी डी0डब्ल्यू 1 रामदीन, डी0डब्ल्यू 2 नोनन्द सिंह, डी0डब्ल्यू 3 लादूराम के शपथ पत्र पेश किए जो शामिल मिसल है। दिनांक 7.8.2019 को गवाह डी0डब्ल्यू 4 भंवरलाल के शपथ पत्र पेश किए गए। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पेश किया। दिनांक 21.8.2019 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पर जवाब नहीं देना जाहिर कर सहमति होना जाहिर किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया गया। दिनांक 27.1.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित कथनों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाए जाने बाबत व वादीगण अपने वाद पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहे वादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम गहलोता तहसील दूदू के बाबत साबित नहीं किए जाने से खारिज किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार दूदू द्वारा दिनांक 20.8.2018 की ओर से प्रेषित जवाब व पटवारी हल्का ग्राम गहलोता द्वारा दिनांक 13.8.2018 की राजस्व मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.49 है0 साबिक खसरा नम्बर 1666 मिन0 रकबा 0.20 है0, 1648 रकबा 0.25 है0 एवं 1649 रकबा 0.04 है0 से बना है। जो वाकै ग्राम गहलोता तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी रामस्वरूप पुत्र कामड हिस्सा 3/8, सुवा पुत्र कामड हिस्सा 1/8 एवं रामनारायण पुत्र बख्तावर हिस्सा 1/2 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यह कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट साबिक खसरा नम्बर 1666 से नवीन खसरा नम्बर 2057 रकबा 0.20, 2063 रकबा 0.44, 2065 रकबा 0.04 एवं 2066 रकबा 0.31 है0 कायम किए गए है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 1666 का कुल क्षेत्रफल 0.58 नवीन खसरा में भी कायम रहा है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मुताबिक पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट खातेदारान साबिक खसरा 1666 के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कहे गए कथन किसी भी प्रकार से उक्त मौका रिपोर्ट से मेल नहीं खाते व वादीगण यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है कि उनके हिस्से उक्त आराजीयात में किसी प्रकार से कम किए गए है जो कि तहसीलदार दूदू द्वारा प्राप्त जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है। चूंकि साबिक जमाबंदी के साबिक खसरा नम्बरान के अनुसार ही हाल जमाबंदी के हाल खसरा नम्बरान का रकबा कायम किया गया है व उक्त मौका रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रतिवादीगणों द्वारा दिए गए जवाबदावों व साक्ष्यों से स्पष्ट है। इसलिए अपीलार्थीगण अपने कथनों को सिद्ध नहीं कर सके हैं जबकि अप्रार्थी के पक्ष में प्रकरण बखूबी सिद्ध होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का भली–भांति अवलोकन करते हुए उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 44/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामचन्द्र) 16/01/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner